

महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हरियाणा सरकार: एक वश्लेषण

Dr. Reena

Department of Political Science,

Vaish College, Bhiwani 127021 Haryana

Corresponding Author- email- ashureena1142@gmail.com

संक्षेप:

सशक्तिकरण से अ भप्राय ऐसी प्र क्रया से है जो कसी भी व्यक्ति की योग्यता और क्षमता से है जो उसे अपने जीवन में जुड़े कसी भी वषय से संबं धत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। अर्थात वह अपने जीवन से जुड़े सामाजिक, आ र्थक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक कसी भी पहलू से संबं धत निर्णय लेने में सक्षम होता है उसे सशक्तिकरण कहा जाता है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यहां भी हम उसकी क्षमता की बात करते हैं जहां पर वह अपने भ वषय के निर्माण के लए अपने जीवन से संबं धत निर्णय लेने में पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो। परिवार , समाज के बंधनों से परे वह अपने जीवन से जुड़े तमाम निर्णय लेने के लए पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम हो।

परिचय:

समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लए नर और नारी दो पहियों के समान होते हैं जिसमें दोनों का संतुलन होना आवश्यक है यदि कोई भी एक पहिया समान नहीं होगा तो समाज रूपी गाड़ी सही प्रकार से नहीं चल पाएगी और समाज का संतु लत वकास नहीं हो पाएगा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप नारी को शक्ति का रूप प्रदान किया गया है। वेदों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है क प्राचीन भारतीय समाज सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक था नारी समाज का मूलाधार थी। परिवार की पहचान माता के नाम से होती थी अर्थात परिवार की मुख्या माता होती थी। वेदों में कहा गया है क

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता"

अर्थात जिस परिवार में नारी की पूजा होती है देता भी वही निवास करते हैं। प्राचीन संस्कृति के अनुसार समाज में परिवार में कोई भी शुभ कार्य नारी के हाथों से ही करवाया जाता था। कोई भी यज्ञ बिना नारी की उपस्थिति के संपूर्ण नहीं होता था। नारी को पूजनीय माना जाता था उसकी स्थिति परिवार में, समाज में सबसे ऊपर थी। परंतु जैसे-जैसे समय बीता गया समाज में और सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आता गया जिसके परिणाम स्वरूप नारी की स्थिति में भी परिवर्तन होता चला गया। मध्य युग में नारी की स्थिति दयनीय होती चली गई। समाज पुरुष प्रधान हो गया और महिलाओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार शुरू हो गए जैसे बाल ववाह, वधवा पुनर्ववाह ना होना, कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, दहेज प्रथा, बलात्कार। महिला को एक उपभोग की वस्तु बनाकर घर की चारदीवारी में बंद कर दिया गया। उसका काम चूल्हे चौके तक सी मत कर दिया गया। उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गरावट आती चली गई। महिला को मनोरंजन का साधन बना दिया गया और उसे, "दासी और पैरों की जूती" कहकर संबोधित किया गया। कबीर ने अपने दोनों ने कहा है

नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग।

कबिरा तिनकी कोन गति, जो नित नारी के संग।।'

मैथलीशरण गुप्त ने कहा-

अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी,

आँचल में दूध और आंखों में पानी ।

भारतीय समाज में स्त्रियों की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारकोने प्रयास किए जैसे राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही सती प्रथा को बंद किया गया तथा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से ही निकल सकता है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नारियों की स्थिति के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले ने नारी को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए और अनेक कष्टों का सामना करते हुए नारी को शिक्षा के अधिकार दिलाने में अमूल्य योगदान दिया। उनका यह मानना था कि यदि एक नारी को शिक्षित किया जाता है तो न केवल एक परिवार अपितु दो परिवार शिक्षित होते हैं। इसके साथ-साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने अपना योगदान दिया भारत की आजादी के लिए उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया।

भारतीय महिलाओं की स्थिति

भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संवधान लागू हुआ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रावधान किए गए और आजादी के 75 वर्षों के पश्चात यदि हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए और उनकी गरिमा पूर्ण तौर पर प्रदान करने के लिए अनेक कानूनी प्रावधानों का समावेश किया गया है जिसके तहत उनकी स्थिति में काफी हद तक सुधार हुए हैं। भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत भारत में स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव की मनाही की गई है अर्थात् सरकार के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर धर्म भाषा जाति रंग लंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अर्थात् स्त्री और पुरुष को सामान समझा जाएगा अनुच्छेद 15(3) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा उन्नति एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकती हैं। अनुच्छेद 16 के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत में अवसर की समानता स्थापित की जाएगी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। परंतु अगर हम वास्तविकता देखें तो यह आंकड़ा केवल कागजों तक ही सीमित है हमारे देश में दिन प्रतिदिन होने वाले अपराधों का अगर विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि प्रति 6 मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ या सार्वजनिक अपमान उसके साथ किया जाता है और प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला की हत्या का प्रयास बलात्कार उत्पीड़न और अश्लीलता जैसी घटनाएं घटित होती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष का अध्ययन करने के पश्चात हमारे सामने उभर कर आता है कि भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध घटित होते हैं इन अपराधों की रोकथाम के लिए भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर कठोर नियम और कानून बनाए जाते हैं लेकिन इसमें बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। भारतीय संवधान द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उनके सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनेक प्रकार के आयोगों की स्थापना भी की गई है प्रस्तुत शोध पत्र में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं नियम कानूनों का निर्माण किया गया है। भारतीय संवधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में भी महिलाओं को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए भी भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39 (क) में प्रावधान किया गया है कि एक स्त्री को आजीवन के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है तथा

अनुच्छेद 39 में स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 42 में प्रावधान किया गया है कि महिला को कार्यस्थल पर कार्य करते समय विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सही रहे और प्रसूति अवकाश के बाद वह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। अनुच्छेद 46 इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य सरकार के द्वारा दुर्बल कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के लिए कार्य किया जाएगा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से मुक्त रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। भारतीय संवधान के भाग 4 A मौलिक कर्तव्य वाले अध्याय में अनुच्छेद 51 A(e) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारतीय अपनी संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा के महत्त्व को समझते हुए एवं उसका अनुसरण करते हुए ऐसी प्रथम एवं परंपराओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के वरुद्ध हो।

भारतीय संवधाननिर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण

भारतीय संवधान के अनुच्छेद 243 (द) (3) में प्रावधान किया गया है कि भारत में स्थापित पंचायती राज में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1 बटा तीन स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षण होंगे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गये स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षण रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले व भन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 243 D(4) में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों के चेयरपर्सन के लिए भी महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षण की जाएंगी। भारतीय संवधान के अनुच्छेद 243 तीसरी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका एवं नगर निगम में भी एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की जाएंगी तथा चक्रानुक्रम व भन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित की जाएंगी। भारतीय संवधान का अनुच्छेद 325 या प्रावधान करता है कि निर्वाचक नामावली में भी महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। कस अनुच्छेद के द्वारा संवधान निर्माताओं ने इस बात को दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में स्त्री और पुरुष दोनों को मताधिकार से संबंधित समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है एवं धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498a में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी महिला का पति या उसका रिश्तेदार अपनी ववाहित पत्नी के साथ निर्दयता पूर्वक या क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है या दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करता है तो न्यायालय के द्वारा उसे 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मान मर्यादा एवं लज्जा का अनादर करने की मंशा से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि उत्पन्न करता है या अनुच्छेद करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है या कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांता या मान मर्यादा का उल्लंघन होता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है।

भारत महिलाओं की सुरक्षा एवं उन्नति

भारत महिलाओं की सुरक्षा उनकी उन्नति उनके विकास के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं ताकि समाज में प्रचलित कुरीतियों और कुप्रथा को रोका जा सके और एक महिला को सुरक्षा एवं सम्मान के साथ जीवन यापन का अधिकार प्रदान किया जा सके। जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

(1) राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948

(2) दि. प्लांटेशनस लेबर अधिनियम 1951

- (3) परिवार न्यायालय अ धनियम, 1954
- (4) वशेष ववाह अ धनियम, 1954
- (5) हिन्दु ववाह अ धनियम 1955
- (6) हिंदूउत्तरा धकारी अ धनियम, 1956 (संशोधन 2005)
- (7) अनैतिक व्यापार निवारण अ धनियम 1956
- (8) प्रसूति प्रसू वधा अ धनियम 1961 (संशोधन 1995)
- (9) दहेज प्रतिषेध अ धनियम 1961
- (10) गर्भ का च कत्सकीय समापन अ धनियम 1971
- (11) ठेका श्र मक अ धनियम 1976
- (12) दि इक्वल रियुनरेशन अ धनियम 1976
- (13) बाल ववाह प्रतिषेध अ धनियम 2006
- (14) आपरा धक व ध (संशोधन) अ धनियम 1983
- (15) कारखाना (संशोधन) अ धनियम 1986
- (16) इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेशन आॅफ वुमेन एक्ट 1986
- (17) कमीशन आॅफ सती (प्रवेन्शन) एक्ट, 1987
- (18) घरेलू हिंसा से संरक्षण अ धनियम 2005

इनके प्रस्तुत शोध पत्र में हम हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं की उन्नति और विकास के लिए कौन-कौन

से नियम अ धनियम एवं योजनाओं का कार्य किया गया है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

हरियाणा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में पानीपत में की गई थी इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मलकर राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लंगानुपात में लड़कियों के अनुपात में हो रही कमी को दूर करना लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और लड़कियों के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच एवं मानसिकता में बदलाव लाना है। इस योजना के तहत न केवल हरियाणा में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करके समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई परिवार बेटी के अकाउंट में हजार रुपए जमा करवाता है तो 14 साल में कुल रकम 168000 होगी। और जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो बेटी को ₹600000 से अधिक पैसे बैंक के द्वारा दिए जाएंगे जो उस बेटी की उच्च स्तरीय शिक्षा में सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक बदलाव और सुधार लाने के लिए स्थानीय निकायों के साथ-साथ सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे लड़कियों के गरीब शिक्षा स्तर को बढ़ा सकें और समाज में उनकी भागीदारी निश्चित कर सकें। सरकार ने यह योजना महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उनकी मदद के लिए शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन महिलाओं को जिन्हें घरेलू हिंसा के माध्यम से पीड़ित किया जाता है को कानूनी एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पारिवारिक हिंसा का शिकार महिलाएं 181 नंबर पर संपर्क करके कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं

सुकन्या समृद्ध योजना

इस योजना की शुरुआत बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए 2015 में की गई थी इस योजना के माध्यम से 10 साल से छोटी बच्चियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके ववाह

के समय उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेटियों के बेहतर भवष्य के लिए, उनके अभिभावकों को पैसा जुटाने के लिए, सरकार ने सुकन्या समृद्ध योजना की शुरुआत की है। इसमें हर साल 250 रुपए से 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस पर सरकार, वर्तमान में 7.6% ब्याज दे रही है, जो क कसी भी बैंक की FD या RD स्कीम से अधिक है। अगर आप हर महीना 500 रुपए भी जमा करते हैं तो 21 साल बाद आपकी बेटि को 2 लाख 54 हजार 606 रुपए मिलते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

यह योजना महिलाओं को रसोई की सुवधा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इसके माध्यम से गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गैस सलेंडर उपलब्ध कराते हैं और इसका लाभ भारत के करोड़ों परिवार ले चुके हैं। इस योजना के तहत, अगले 3 वर्षों में 1600 रुपये प्रति कनेक्शन के समर्थन के साथ बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करते हुए, विशेषकर ग्रामीण भारत में, घरों की महिलाओं के नाम पर कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 8000 करोड़ रुपए इस योजना के क्रयान्वयन हेतु आवंटित किए गए। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमनयोजना

इस योजना की शुरुआत 2019 को की गई थी। इसके अंतर्गत प्रसव के दौरान माँ एवं बच्चे का अच्छे से देखभाल के लिए और उन्हें उचित पोषण प्रदान करने के लिए किया गया है। जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और नर्सों की देखभाल में प्रसव का कार्य हो। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 4 बार का मुफ्त चेकअप का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा एवं गर्भवती महिला को 6 महीने से लेकर बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा इसके साथ साथ दवाइयां एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य सेवाएं भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुवधाएं महिला को 1 घंटे के अंदर अंदर प्रदान की जाएंगी इसके अंतर्गत महिला को सुरक्षित डिलीवरी की गारंटी भी प्रदान की जाएगी इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दरों को कम करना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को डिलीवरी से पहले एवं डिलीवरी के बाद मिलने वाली सुवधाओं को समय पर उन तक उपलब्ध करवाना है।

प्रधानमंत्री समर्थ योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे महिलाएं नई-नई जानकारी ले सकें। इससे महिलाएं भी व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर पाएंगी और इसका फायदा उठाकर खुद का व्यवसाय कर पाएंगे एवं आप निर्भरता की तरफ एक कदम उठा पाएंगी।

• इसके अलावा हजारों महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने व उनके वपणन के अवसर मिलेंगे। साथ ही सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिये वर्ष 2022-23 के दौरान NSIC की निम्नलिखित वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट की पेशकश की जाएगी:-

- एकल बिंदु पंजीकरण योजना
- कच्चे माल की सहायता और बिल में छूट
- निवृत्त वपणन

फ्री सलाई मशीन योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आवेदन करने पर फ्री में सलाई मशीन दिया जाता है जिससे वे कड़ाई - बुनाई करके अपना जीवन चला सके और आत्मनिर्भर बने। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं ले सकती हैं और उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

हरियाणा महिला समृद्ध योजना

इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खर जी के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को खुद के अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा **Rs.60000** का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जायेगा। जैसे की आप जानते हैं कि राज्य में बहुत सी ऐसे महिलाएँ हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाती इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा महिला समृद्ध योजना को शुरू की। इस योजना के जरिये अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। सरकार उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक प्रकार की यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं व उनके आश्रित को सरकार की ओर से 750/- रुपये गुजारा भत्ता दिया जाता है तथा उनकी लड़कियों को व लड़कों को 16 साल की उम्र तक साथ रखने की आला दी जाती है।

हरियाणा उत्तर रक्षा गृह कन्या, करनाल (नारी निकेतन)

हरियाणा उत्तर रक्षा गृह कन्या, करनाल (नारी निकेतन) में चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य लड़कियों/महिलाओं जिनकी आय का कोई साधन न हो, को संस्थागत देखभाल, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रख-रखाव, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। संवा सयों को निःशुल्क कपड़े, भोजन, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं/अर्ध सरकारी संस्थाओं/कल्याण एवं अनुसंधान संस्थाएं जो हरियाणा में कार्यरत हैं और महिलाओं, बच्चों व कशोरियों को सेवायें प्रदान करती हैं तथा सामाजिक बुराईयों जैसा कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की की कम साक्षरता दर व महिलाओं के प्रति हिंसा आदि को समाप्त करने के लिए सामाजिक लामबन्दी अथवा अभियान चलाती हैं, को सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है।

दहेज प्रतिषेध कार्यक्रम:-

दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य के सभी उपमण्डल मजिस्ट्रों एवं नगराधीशों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को परामर्श व सहायता देने के लिए सलाहकार बोर्ड/समितियों का गठन किया गया है।

हरियाणा राज्य महिला आयोग:-

महिलाओं को सवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करने, उनके वरुद्ध भेदभाव तथा उत्पीड़न के मामलों में छानबीन करने के लए रराज्य में महिला आयोग गठित है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 को पास करके आयोग को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है।

हरियाणा महिला विकास निगम

कमजोर वर्ग की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लए महिलाओं के विकास की गति व धर्यों को वक सत करने, जागृति जागरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार स्थापित करने के लए संस्थागत वक्त का प्रबन्ध करने हेतु हरियाणा महिला विकास निगम कार्यरत है।

महिला सैक्स वर्करस के पुर्नवास बारे योजना:-

हरियाणा सरकार द्वारा महिला सैक्स वर्करस को व भन्न तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके लए पुर्नवास की योजना तैयार की गई है। जो महिलाएं अपना स्वरोजगार परियोजनायें शुरू करने की इच्छुक हैं, को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की सुवधा प्रदान करवाई जायेगी। निगम द्वारा अधिकतम 1000/-रुपये की राश पर 5 प्रतिशत ऋण सब सडी प्रदान की जायेगी।

आपकी बेटी हमारी बेटी

आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा राज्य सरकार की एक योजना है जिसमें अनुसूचित जाति / बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और कसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी संतान के नाम पर जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ 21000 रुपये की राश का निवेश किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, बालका को एक अस्थायी भुगतान किया जाएगा 24.08.2015 से कसी भी जाति से संबंधित परिवारों में जन्म लेने वाली तीसरी बालका को भी कवर किया गया

उद्देश्य

बालकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना। राज्य में बाल लंगानुपात में सुधार करना। वद्यालयों में बालकाओं के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार करना और आय सृजन गति व धर्यों को करने के लए लड़कियों की सहायता करना। उम्र बढ़ाने के लए लड़कियों की शादी में।

निष्कर्ष

अंत में हम कह सकते हैं क कसी भी देश में जहां पर लैंगिक भेदभाव पाया जाता है उस राष्ट्र में सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक अंतर भी आता है जो उस देश को उन्नति और विकास के पद से भ्रष्ट करके उन्नति और पतन की ओर ले जाता है। भारत जैसे विकासशील देश को वक सत राष्ट्र बनाने के लए भारतीय संवधान में वर्णित अधिकारों को समझ जनता के सुनिश्चित करने के लए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे आवश्यक है और महिलाओं के वरुद्ध व भन्न प्रकार की कुरीतियों परंपराओं एवं बुराइयों को मटाने के लए लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं महिला सशक्तिकरण के लए उच्च स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत एक महिला को शारीरिक मान सक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाकर हम एक सुदृढ भारत की नींव रख सकें। हम

इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि एक बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और लड़कियों को बचपन से ही सखाया जाता है कि लड़कियां गुड़ियों से सेवर रसोई के बर्तनों से खेलती हैं बड़े होकर उनका काम घर का काम करना है वह परिवार को संभालना है और यह वचार लड़की के मन में इस प्रकार घर कर जाते हैं कि वह चाहकर भी अपने व्यक्तित्व का विकास उस प्रकार से नहीं कर पाती जिस प्रकार वह करना चाहती है बहुत बार एक परिवार में ही एक लड़के को असुरक्षित महसूस करवाया जाता है इसी लिए महिला सशक्तिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम परिवार से ही होनी चाहिए यदि परिवार में उसे उचित स्वस्थ एवं संतुलित वातावरण मलेगा तो निसंदेह उसका विकास उसकी उन्नति में कोई भी रुकावट या बाधा नहीं आ सकती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि "लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना आवश्यक है" इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सचेत होने की आवश्यकता है संवधान के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है सकारात्मक दृष्टि से ग्रहण करना भी आवश्यक है एक महिला को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता देना आवश्यक है जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी वर्तमान समय में स्वयं को मजबूत बनाना है और पुरानी अवधारणा जो उन्हें कमजोर और शोषण सहनेवाली अबला के रूप में प्रदर्शित करती है को बदलने की जरूरत है। एक महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मलाकर ना केवल परिवार, समाज, राज्य एवं अपितु राष्ट्र के विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। आज आवश्यकता है तो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को बदलने की और एक ऐसे स्वच्छ एवं स्वस्थ सोच वाले भारत के निर्माण की जिसमें महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए देश को भी उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार भी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण कर रही है जिसके तहत आज हरियाणा की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। साक्षी मलक भारतीय महिला पहलवान हैं। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ। साक्षी ने ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान हैं। इससे पहले साक्षी ने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। 2014 के विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। गीता फोगाट एक भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान हैं जिन्होंने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। गीता ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। साथ ही गीता पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलम्पिक में क्वालीफाई किया। 23 दिसम्बर 2016 को प्रदर्शित हुई हिन्दी भाषी दंगल फ़िल्म इन्हीं पर आधारित है, जिसमें इनका करदार फ़ातिमा सना शेख ने निभाया है जबकि आमिर खान ने इनके पता और कोच महावीर सिंह फोगाट का करदार निभाया। हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने मस इंडिया 2017 का खिताब जीता। रविवार 25 जून को मुंबई के यशराज स्टूडियो में आयोजित समारोह में मस हरियाणा मानुषी को

पछली बार की वजेता रहीं प्रयद र्शनी चटर्जी ने ताज पहनाया। खानपुर मे डकल कॉलेज की स्टूडेंट मानुषी एमबीबीएस सेकंड ईयर में है। मशहूर पहलवान क वता दलाल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सलेक्ट होकर इतिहास रच दिया है। क वता वहां तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन चुकी हैं। अब वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में 31 पहलवानों से भड़ेंगी। हरियाणा की रहने वाली क वता पेशेवर रेसलर बनने के लए **WWE** चें पयन रहे द ग्रेट खली के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ले रही हैं। उनकी ट्रेनिंग खली की पंजाब स्थित ट्रेनिंग अकादमी में हो रही है। दीपा म लक शॉटपुट एवं जेव लन थ्रो के साथ-साथ तैराकी एवं मोटर रेस लंग से जुडी एक दिव्यांग भारतीय खलाडी हैं जिन्होंने 2016 पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 30 की उम्र में तीन ट्यूमर सर्जरीज और शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाने के बावजूद उन्होंने न केवल शॉटपुट एवं ज्वलीन थ्रो में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, बल्कि तैराकी एवं मोटर रेस लंग में भी कई स्पर्धाओं में हिस्सा लया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण तथा 4 रजत पदक प्राप्त कये सतंबर 2018 में कैप्टन अ भलाषा को सेना के ए वरेशन कोर में कमीशन मला। अब तक वह कई प्रोफेशनल म लट्री कोर्स कर चुकी हैं। कॉम्बैट ए वएटर बनने के लए उन्होंने अपनी बाकी पायलट सा थयों की तरह ही 6 महीने का कोर्स पूरा कया है। आने वाले दिनों में ए वरेशन कोर के टेक्टिकल इम्पोर्टेंस में फ़ोर्स-मल्टीप्लायर के तौर पर आर्मी की मदद करेंगी। कैप्टन अ भलाषा बराक हरियाणा के पंचकूला जिले की रहने वाली हैं। बुल्गारिया में चल रहे अंडर-20 वर्ल्ड चें पयन शप में हरियाणा की 17 वर्षीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया हरियाणा के रोहतक की बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। उन्नति हूड्डा ने कटक में आयोजित ओ डशा ओपन 2022 बैड मंटन टूर्नामेंट में तोशनीवाल को फाइनल मुकाबले में सीधे सेटों में हराकर खताब पर कब्जा कया 22 से 28 फरवरी तक रूस के मास्को में वूशु प्रतियोगिता में भाग ले भवानी की बेटी कुसुम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर भवानी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन कया सरसा: हरियाणा के सरसा की चार बेटियों ने इतिहास रचते हुए स वल सेवा न्यायिक परीक्षा पास कर जज बनने में सफलता हा सल की है। जज बनने वाली बेटियों में सरसा की कोर्ट कालोनी में रहने वाली जैस्मीन प्रीत कौर, ऐलनाबाद के गांव अमृतसर खुर्द की रहने वाली जसप्रीत कौर व गांव मौजदीन निवासी रेनू बाला और चौथी बेटी सरसा के डबवाली के गांव चौटाला की संतोष है। नारनौल के गांव मर्जापुर बाछोद की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया है। तनिष्का ने देशभर में टॉप कया है। जींद :- हरियाणा की बेटियां जहां खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, वहीं अब सेना में जाकर एडवेंचर **Sports** में भी प्रदेश का नाम चमका रही हैं लांस नायक मंजू ने एएलएच ध्रुव हे लकॉप्टर से 10 हजार स्काई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर **Army** की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बनकर यह साबित कर दिया की महिलाएं कसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है हरियाणा के खेड़का गांव में जन्मी भगवानी 95 साल की भगवानी देवी डागर ने इतिहास रच दिया है। भगवानी देवी ने पोलैंड के टोरून में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियन शप (World Masters Athletics Indoor Championship) में डस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा की रहने वाली एथलीट ने इससे पहले फनलैंड में 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चें पयन शप (**World**

Masters Athletics Championship) में 90-94 आयु वर्ग में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था। 26 साल की पूजा रोहतक के गढ़ी मोहल्ला की रहने वाली हैं। पूजा ने पैरा लंपक खेलों में तीरंदाजी के लए क्वॉक लफाई कया है। ऐसा पहली बार है जब पैरा लंपक में भारत की ओर से कोई महिला तीरंदाज प्रदर्शन करेगी। बेटियों को हरियाणा की खापलैंड खूब भा रही है। स्वास्थ्य वभाग द्वारा जारी आंकड़ों में जींद जिले का लंगानुपात 986 पहुंच गया है। जींद जिले में जनवरी में जारी कए गए स्वास्थ्य वभाग के आंकड़ों में टॉप कया है.

“समय है सोच में परिवर्तन लाने का महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का”

संदर्भ ग्रंथ-

1. कबीर का दोहा बीजक संग्रह मौ थली शरण गुप्त का पद अबला नारी
2. डा. रानी, आशु (1999) महिला वकास कार्यक्रम, ईनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ सं. 19
3. भारतीय सं वधान व हिन्दी की दुनिया डॉट कॉम यूथ की आवाज डॉट कॉम
4. ओम प्रकाश, हिंदू ववाह, चतुर्थ संस्करण, वश्व वद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997, पृष्ठ 182-2001
5. कानिटीकर मुकुलभारत में महिला शक्षा समाज व सरकार की भूमिका, योजना सतंबर 2016, पृष्ठ-37।*
6. www.worldwidejournals.com | महिलाओं के लए उपलब्ध सरकारी योजना
7. आर.सी. मजुमदार, द हिस्ट्र एण्ड कल्चर आफ द इण्डियन पीपुल, प्रका शत टवस ग्दक मकपजपवद 198 1
8. डाकुलश्रेष्ठ, लक्ष्मी रानी, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर -नवम्बर 1997, पृष्ठ सं. 82
9. अंसारी एम ए, "महिला और मानव अधिकार" ज्योति प्रकाशन जयपुर
10. मकोल नीलम शर्मा, संदीप, सामाजिक वकास में श क्षत महिलाओं का योगदान। कुरुक्षेत्र सतंबर 2006 पृष्ठ 53।*
11. वासी तृप्ता बीएसडब्ल्यू ई- शक्षा में महिला वकास की पहलइग्नू लक्ष्मी प्रंट इंडिया शाहदरा दिल्ली 32 पृष्ठ-66।
12. देवपुरा प्रताप भल "महिला सशक्तिकरण में शक्षा का महत्व", कु रक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006 पृष्ठ-5 6
13. श्रीवास्तव सुधारानी (1999) "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति", कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन नई दिल्ली*
14. जैन, प्रतिभा (1998), "भारतीय स्त्री संस्कृति संदर्भ" रावत पब्लिकेशन जयपुर।*